

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष-श्रीमती वंदना राज पाण्डेय)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 484 / 2013
संस्थित दिनांक- 03.09.2013

रमेश पिता सीताराम पाटीदार,
आयु-53 वर्ष, व्यवसाय-कृषि,
निवासी ग्राम बड़दा, तहसील अंजड़,
जिला बड़वानी म.प्र.

.....परिवादी

वि रू द्ध

अनिल पिता हरिजी पाटीदार,
आयु-41 वर्ष, प्रोप्रायटर पी.एम.टी.
ऑटो इंटरनेशनल, बड़वानी रोड़
अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी

.....अभियुक्त

परिवादी द्वारा	— श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 23/07/2016 को घोषित)

- परिवादी के परिवाद दिनांक 15.06.13 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध उसके द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी को दिनांक 15.03.13 को आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा बड़वानी में स्थित अपने खाता क्रमांक 049005000231 का चेक क्रमांक 022825 राशि रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) का उसके खाते में अपर्याप्त धनराशि होने से अनादरित होने के कारण जिसकी सूचना परिवादी द्वारा दिये जाने के उपरांत भी आरोपी ने परिवादी को उक्त चेक की धनराशि अदा नहीं करने के आधार पर 'परकाम्य लिखत अधिनियम' की धारा-138 का अभियोग है ।
- प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि परिवादी एवं आरोपी एक-दूसरे को जानते हैं एवं प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आरोपी ने स्वयं को दीवालिया घोषित कराने के लिए माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, बड़वानी के समक्ष प्रांतीय दीवाला अधिनियम 1920 की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया है।
- परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि आरोपी शहर अंजड़ में पी.एम.टी. ऑटो इंटरनेशनल का प्रोप्रायटर होकर फर्म का लेनदेन एवं खाते का संचालन करता है । आरोपी को अपने व्यावसायिक एवं पारिवारिक कार्य के लिये रुपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने परिवादी से रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) नकद उधार स्वरूप प्राप्त किये थे । आरोपी द्वारा उक्त उधार प्राप्त रुपयों की अदायगी हेतु अपने खाता क्रमांक 049005000231 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा बड़वानी का चेक क्रमांक 022825 रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) का अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी किया था, जो परिवादी ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ में अपने

खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया था, जो परिवादी को दिनांक 16.04.13 को आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित होकर प्राप्त हुआ था, जिसकी सूचना परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को दिनांक 04.05.13 को दी थी एवं चेक की राशि का भुगतान नहीं करने पर दाण्डिक कार्यवाही करने की सूचना दी थी, लेकिन आरोपी ने उक्त सूचना दिनांक 06.05.13 को लेने से इन्कार कर दिया और समयावधि में चेक की राशि का भुगतान नहीं किया, इसलिए परिवादी ने यह परिवाद प्रस्तुत किया है ।

4. उक्तानुसार आरोपी पर 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-138 का अभियोग लगाये जाने पर आरोपी द्वारा अपराध को अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा । बचाव में आरोपी का कथन है कि उसने परिवादी से कोई रूपया उधार स्वरूप प्राप्त नहीं किया था । आरोपी ने बचाव में साक्ष्य देना प्रकट किया, लेकिन बचाव साक्षी के रूप में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या आरोपी ने परिवादी से रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) नकद धनराशि उधार स्वरूप प्राप्त की थी ?
2	क्या आरोपी द्वारा उक्त रूपयों की अदायगी हेतु परिवादी को अपने खाता क्रमांक 049005000231 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा बड़वानी का चेक क्रमांक 022825 दिनांक 15.03.13 अपने हस्ताक्षर से परिवादी को प्रदान किया गया था ?
3	क्या उक्त चेक आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित हुआ ?
4	क्या परिवादी द्वारा सूचना-पत्र प्रेषित किये जाने के उपरांत भी आरोपी ने परिवादी को चेक की राशि का भुगतान नहीं किया ?
5	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 4 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में परिवादी रमेश पाटीदार (प.सा.1) ने परिवाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया है कि आरोपी शहर अंजड़ में पी.एम.टी. ऑटो इंटरनेशनल का प्रोप्रायटर होकर फर्म का लेनदेन एवं खाते का संचालन करता है । आरोपी को अपने व्यावसायिक एवं पारिवारिक कार्य के लिये रूपयों की आवश्यकता होने से आरोपी ने परिवादी से रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) नकद उधार स्वरूप प्राप्त किये थे । आरोपी द्वारा उक्त उधार प्राप्त रूपयों की अदायगी हेतु अपने खाता क्रमांक 049005000231 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा बड़वानी का चेक क्रमांक 022825 रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) का अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी किया था, जो

परिवादी ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ में अपने खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किया था, जो परिवादी को ज्ञापन मेमो के साथ दिनांक 16.04.13 को आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित होकर प्राप्त हुआ था, जिसकी सूचना परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी को दिनांक 04.05.13 को दी थी एवं चेक की राशि का भुगतान नहीं करने पर दाण्डिक कार्यवाही करने की सूचना दी थी, लेकिन आरोपी ने उक्त सूचना दिनांक 06.05.13 को लेने से इन्कार कर दिया और समयावधि में चेक की राशि का भुगतान नहीं किया ।

7. परिवादी ने अपने समर्थन में आरोपी द्वारा दिया गया चेक प्र.पी.1 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक का चेक वापसी मेमो प्र.पी.2, बैंक ऑफ इंडिया का पत्र प्र.पी.3, आरोपी को दिया गया सूचना-पत्र प्र.पी.4, पोस्टल रसीद प्र.पी.5, उक्त सूचना-पत्र का वापसी लिफाफा तथा प्राप्ति अभिस्वीकृति प्र.पी.6 भी प्रमाणित किये हैं ।

8. बचाव-पक्ष की ओर से किये ये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने न्यायालय में जो परिवाद पेश किया था, वह पढ़ लिया था और उसने समर्थन में प्रस्तुत किये गये शपथ-पत्र पर उम्र नहीं लिखी है । उसके दो भाई और हैं और वे संयुक्त परिवार में रहते हैं । उनके घर में किराना का सामान संयुक्त रूप से लेकर आते हैं । तीनों भाईयों के पास पैसे अलग-अलग रहते हैं । परिवादी से उसके परिवार के सदस्यों और परिवार में हुए व्यवसाय के संबंध में लम्बा प्रतिपरीक्षण किया गया है, जो इस प्रकरण में सुसंगत नहीं है ।

9. परिवादी ने स्वीकार किया है कि बैंक से लेनदेन अधिकतर वहीं करता है, पासबुक भी उसके पास ही होती है । प्र.पी.1 के चेक पर अंक अंग्रेजी में लिखे हैं । उसने प्र.पी.1 का चेक मार्च माह में बैंक में लगाया था । प्र.पी.1 का चेक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा बड़वानी का है । परिवादी ने स्वीकार किया है कि वह बैंक से निकासी पत्र के माध्यम से एक साथ 10 लाख रुपये निकाल लेते हैं और उसके भाईयों के नाम से संयुक्त कृषि भूमि लगभग 40 एकड़ है, जिसमें उसकी पत्नी एवं पिताजी का नाम भी है । खेती के लिये जो बीज नकद उधार लाते हैं, उसका हिसाब वह नहीं रखता है । वह अपने खेत पर आवश्यकतानुसार मजदूर रखता है और मजदूरी के पैसे का भुगतान साप्ताहिक रूप से किया जाता है । परिवादी ने स्वीकार किया है कि वह किसी को रुपये उधार नहीं देता, लेकिन आरोपी पहचान वाला था, इसलिए दे दिये थे । उसके संयुक्त खाते में 20-25 हजार रुपये होंगे । उक्त परिवादी को बचाव-पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण के दौरान यह सुझाव नहीं दिया गया है कि आरोपी ने दायित्व के अधीन परिवादी को प्र.पी.1 का चेक अपने हस्ताक्षर से जारी किया गया था अथवा आरोपी ने परिवादी से कोई धनराशि उधार स्वरूप प्राप्त नहीं की थी ।

10. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी एवं उसके भाईयों ने आरोपी के विरुद्ध चेक के अनादरण के संबंध में कुछ अन्य प्रकरण भी न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं तथा परिवादी ने यह साबित नहीं किया है कि आरोपी को रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) प्रदान करने के लिये उसके पास धनराशि थी, ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध 'परकाम्य लिखत अधिनियम' की धारा-138 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है ।

11. यह सही है कि परिवादी ने परिवाद-पत्र के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे यह दर्शित हो कि आरोपी द्वारा उससे रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) किस प्रकार प्राप्त किये थे, लेकिन आरोपी ने प्र.पी.1 के चेक पर अपने हस्ताक्षर से इन्कार नहीं किया है और ऐसी कोई साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी आरोपी की ओर से प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे यह प्रमाणित हो कि आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी को प्र.पी.1 का चेक प्रदान नहीं किया गया था। आरोपी ने प्र.पी.1 के चेक पर अपने हस्ताक्षर से भी इन्कार नहीं किया है तथा उक्त चेक आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के आधार पर अनादरित हुआ था, जिसकी सूचना परिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्र.पी.4 के सूचना-पत्र द्वारा आरोपी को दी गयी थी तथा परिवादी ने प्र.पी.5 की डाक की रसीदे पेश की हैं तथा परिवादी की साक्ष्य के अनुसार आरोपी ने उक्त सूचना-पत्र प्राप्त करने से इन्कार किया है। प्र.पी.6 का वापसी लिफाफा है, जिसके माध्यम से आरोपी को मांग का सूचना-पत्र भेजा गया था। यहां तक कि आरोपी ने प्र.पी.6 के लिफाफे पर अपना नाम, पता सही नहीं लिखे होने के संबंध में भी कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में परिवादी की साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि आरोपी द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी के पक्ष में प्र.पी.1 का चेक अपने हस्ताक्षरों से जारी किया गया था, जो आरोपी के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित हुआ था, जिसकी सूचना दिये जाने के उपरांत भी आरोपी द्वारा चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया गया। जहां तक परिवादी के परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी आरोपी के विरुद्ध 'परकाम्य लिखत अधिनियम' की धारा-138 के परिवाद प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, वहां इस संबंध में कोई विधिक बाधा नहीं है कि परिवार के अन्य सदस्य एक ही प्रकृति के आपराधिक परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकते। परिवादी ने अपने परिवार की कृषि भूमि संयुक्त रूप से लगभग 40 एकड़ होना बताया है, ऐसी स्थिति में परिवादी की आरोपी को रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) उधार देने के रूप में आर्थिक रूप से सक्षम होने की उपधारणा की जा सकती है।

12. आरोपी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि आरोपी द्वारा स्वयं को दिवालिया घोषित कराने के लिये 'प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920' की धारा-7 के अंतर्गत आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जो लंबित है, ऐसी स्थिति में भी उसका कोई दायित्व उक्त चेक के संबंध में नहीं बनता है।

13. यह सही है कि आरोपी ने स्वयं को दिवालिया घोषित कराने के लिये 'प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920' की धारा-7 के अंतर्गत आवेदन-पत्र पेश किया गया है, लेकिन उक्त कार्यवाही दीवानी प्रकृति की है और आरोपी के विरुद्ध यह मामला आपराधिक प्रकृति का है, ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन पेश करने से भी आरोपी को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14. इस प्रकार प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर परिवादी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि आरोपी ने दायित्व के अधीन परिवादी को दिनांक 15.03.13 को आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा बड़वानी में स्थित अपने खाता क्रमांक 049005000231 का चेक क्रमांक 022825 राशि रुपये 4,80,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख अस्सी हजार मात्र) का उसके खाते में अपर्याप्त धनराशि होने से अनादरित होने के कारण जिसकी सूचना परिवादी द्वारा दिये जाने के उपरांत भी आरोपी ने परिवादी को उक्त चेक की धनराशि अदा नहीं किये गये जो कि 'परकाम्य लिखत अधिनियम' की धारा-138 का अपराध है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

14. उक्त विवेचना के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि परिवादी 'परकाम्य लिखत अधिनियम' की धारा-138 का अपराध आरोपी के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है ।

15. अतः यह न्यायालय आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, आयु-41 वर्ष, प्रोप्रायटर पी.एम.टी. ऑटो इंटरनेशनल, बड़वानी रोड़ अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी को 'परकाम्य लिखत अधिनियम' की धारा-138 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है ।

16. प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति एवं समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराधों को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

17. सजा के प्रश्न पर आरोपी के अधिवक्ता को सुना गया । आरोपी अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपी नियमित रूप से विचारण का सामना कर रहा है तथा व्यापार में घाटा होने के कारण उक्त अपराध तकनीकी रूप से घटित हुआ है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

18. यह सही है कि आरोपी विचारण के दौरान नियमित रूप से उपस्थित रहा है, लेकिन चेक की राशि एवं प्रकरण चलने के दौरान आरोपी के विलंब कारित किये जाने के आचरण को देखते हुए आरोपी सहानुभूति का पात्र प्रतीत नहीं होता है । अतः आरोपी को न्यूनतम दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः आरोपी अनिल पिता हरिजी पाटीदार, आयु-41 वर्ष, प्रोप्रायटर पी.एम.टी. ऑटो इंटरनेशनल, बड़वानी रोड़ अंजड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी को 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-138 के आरोप में दोषी ठहराते हुए छः माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है ।

19. 'परकाम्य लिखत अधिनियम 1881' की धारा-117 एवं द.प्र.सं. की धारा-357 के अंतर्गत यह भी आदेशित किया जाता है कि आरोपी प्रतिकर स्वरूप परिवादी को रुपये 6,00,000/- (अक्षरी रुपये छः लाख रुपये) अदा करेगा तथा उक्त प्रतिकर की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतेंगा ।

20. आरोपी के जमानत एवं मुचलके निरस्त किये जाते हैं ।

21. प्रकरण में जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

सही / -

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.